



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239385
CG-DL-E-06102022-239385

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4543]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2022/आश्विन 14, 1944

No. 4543]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2022/ASVINA 14, 1944

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4753(अ).—दिनांक 28/09/2022 के का.आ. 4580(अ) के तहत, भारत के राजपत्र में क्रमांक 8 पर निम्नलिखित नाम गलती से प्रकाशित हुआ है:

“धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य” शीर्षक के तहत; तत्संबंधी क्रमांक 8 प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामतः-

इसलिए निम्नलिखित संशोधन प्रकाशित किया जाता है:

निम्न के लिए:

धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य	
8	डॉ. राकेश सिंह, कुलपति, महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर

निम्नलिखित पढ़ा जाय:

धारा 3 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य	
8	डॉ. ए.एम. पातुरकर, कुलपति, महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर

[फा. सं. के-12052/5(5251)/12/2016-एलएच-खण्ड (2) (ई-1113)]

उपमन्यु बसु, संयुक्त सचिव